न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 144/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– मिश्रीलाल पुत्र लालाराम जाति सुथार निवासी 22दुर्गा कॉलोनी, रामदेव रोड पाली 2–बाबूलाल पुत्र लालाराम जाति सुथार निवासी 137,रामदेव रोड, पाली 3–सुनिल पुत्र बाबूलाल गोदपुत्र केराराम जाति सुथार निवासी 137 रामदेव रोड पाली		1– नारायणलाल पुत्र लालाराम जाति सुथार निवासी 160 शेखावत नगर पूनायता रोड, पाली 2– कंकुदेवी बेवा लालाराम जाति सुथार निवासी 160 शेखावत नगर पूनायता रोड, पाली 3– मदनलाल पुत्र लालाराम जाति सुथार निवासी 7 रजत नगर, रामदेव रोड, पाली 4– सरपंच ग्राम पंचायत गढवाडा पंचायत समिति रोहट, जिला पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 28–5–2012 जो उपखण्ड अधिकारी रोहट द्वारा प्रकरण संख्या 18/2011 अनवान नारायण वगैरा बनाम मिश्रीलाल वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री आवडदान चारण अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री एम.एल.खत्री अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से ।
3– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 15–10–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपोल के रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रोहट के समक्ष नामांतरकरण संख्या 329 दिनांक 5–10–2014 के विरूद्ध यह कथन करते हुए प्रथम अपील पेश की कि ग्राम गरवलिया तहसील रोहट के खसरा नंबर 28, 11, 90, 91, 39, 136 व 137 के सहखातेदार लाला पुत्र माधाज़ी जाति सुथार था, जिसकी मृत्यु पश्चात उक्त भूमि का नामांतरकरण वर्तमान अपीलांट संख्या 1, 2, 3 एवं रेस्पो0 संख्या 3 के नाम वसीयत के आधार पर दर्ज करते हुए स्वीकृत कर दिया, जबकि वे भी मृतक खातेदार लाला के विधिक वारिसान होने से उक्त विधिविरूद्ध स्वीकृत नामांतरकरण को निरस्त करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–5–12 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 329 पर ग्राम पंचायत गढवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–10–2004 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार रोहट को पक्षकारान की पुनः सुनवाई करके नये सिरे से नामांतरकरण की कार्यवाही के आदेश पारित कर दिये । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 329 जो ग्राम पंचायत गढवाडा द्वारा वर्ष 2004 मे स्वीकृत किया था, इसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 2011 मे लगभग 7 वर्ष के विलंब से अपील पेश करते हुए विलंब को क्षमा करने का कोई औचित्य भी धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे उल्लेख नही करने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अपील को अंदर मयाद सुमार करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि वसीयत का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नही है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन भूमि को पुश्तैनी मानते हुए सभी वारिसान का बराबर का हिस्सा माना है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य, सबूत या दस्तावेज पेश नही किया जिससे यह साबित हो कि वसीयतसुदा भूमि पुश्तैनी हो इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि मृतक खातेदार लालाराम द्वारा की गई वसीयत को किसी भी सक्षम न्यायालय मे चेलेंन्ज कर निरस्त नही करवाया है, इसलिए वसीयत के रहते अपीलाधीन भूमि के संबंध मे स्वीकृत किये गये म्युटेशन को निरस्त नही किया जा सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत मे अपीलांट्स की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28--5--2012 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को तय करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने 7 वर्ष के विलंब को क्षमा करते हुए अपील को अंदर मयाद सुमार कर लिया है तो इस बिन्दु पर पुनः परीक्षण किया जाना उचित नही है ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि वसीयत फोर्ज है तथा वसीयत के आधार पर म्युटेशन भरने से पूर्व वारिसान को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया तथा यह भी कथन किया कि जिस भूमि की वसीयत मृतक लालाराम द्वारा की गई है, वह कृषि भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि होने से लाला को वसीयत करने का अधिकार ही नही था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रोहट ने वसीयत के आधार पर स्वीकृत किये गये म्युटेशन को खारीज कर पुनः जांच हेतु तहसीलदार रोहट को नामांतरकरण की विधिसम्मत कार्यवाही हेतु निर्देशित किया है, जो आदेश विधि अनुकूल होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात एवं अपीलाधीन निर्णय आदि का भी अवलोकन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय क्री पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो मे फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत संवत् 2012 की भू प्रबध (सेटलमेंट) खतौनी बंदोबस्त, भूमि एकीकरण विभाग का मिलान क्षेत्रफल आदि की प्रमाणित फोटो प्रतिलिपीयां के अवलोकन से यह प्रकट है कि अपीलाधीन भूमि माधा वल्द बना के खातेदारी मे दर्ज थी अथार्त उक्त भूमि मृत खातेदार लाला के पिता माधा की होने से उक्त भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि थी, जिस पर मृतक लालाराम के सभी विधिक वारिसान का बराबर का अधिकार था तथा लालाराम को उक्त पैतृक कृषि भूमि की वसीयत करने का अधिकार ही नही था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत प्रतीत होता है ।

इसके अलावा ग्राम पंचायत गढवाडा ने मृत खातेदार लालाराम पुत्र माधा के फौत होने पर उसके खातेदारी की भूमि का म्युटेशन नोटेरी से तस्दीकसुदा वसीयत के आधार पर स्वीकृत करने से पूर्व मृतक लाला के विधिक वारिसान की जांच कर उनकी सुनवाई किये बिना ही पारित कर दिया जो विधिसम्मत नही माना जा सकता है । वसीयत के आधार पर म्युटेशन तहसीलदार द्वारा ही विधिक प्रकिया के तहत वसीयत का प्रतिपरीक्षण करवाकर, विधिक वारिसान की जांच एवं उन्हे सुनवाई का अवसर दिया जाने के पश्चात ही किया जाना चाहिये परंतु वर्तमान मामले मे ऐसी कोई विधिक प्रकिया नही अपनाई जाकर जो अपीलार्धान म्युटेशन पारित किया गया था जिसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील मे जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से उसमे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही समझते है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रोहट द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–5–2012 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 15–10–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

15/10/18

(मानाराम पटेल)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर